जीआरपी में विशिष्ट प्रशिक्षण- झॉसी प्रशिक्षण केन्द्र।

जनपदीय पुलिस से राजकीय रेलवे पुलिस में आगमन करने वाले पुलिस कर्मियों को 14 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण राजकीय रेलवे पुलिस लाइन झांसी में कराया जाता है। आधारभूत प्रशिक्षण के दृष्टिगत राजकीय रेलवे पुलिस झांसी प्रशिक्षण केन्द्र अनुभाग झांसी व अन्य अनुभागों में नियुक्त अधि0/कर्म0 गणों द्वारा मौलिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। क्योंकि जनपदीय पुलिस में भर्ती किये गये अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रशिक्षण के दौरान रेलवे एक्ट के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्त होती है।

जनपदीय पुलिस से कर्मचारीगण स्थानान्तरण होकर राजकीय रेलवे पुलिस मे अस्थायी रूप से 03 वर्षो के लिये प्रति नियुक्ति पर आते हैं तथा समयाविधि समाप्त होने के फलस्वरूप कर्मचारीगणों को उनके गहन जनपद वापस भेज दिया जाता है। इन कर्मचारियों का राजकीय रेलवे पुलिस में कोई स्थायी कैडर नही होता है। राजकीय रेलवे पुलिस में जनपदीय पुलिस से निरीक्षक से लेकर आरक्षी श्रेणी तक के कर्मचारी स्थानानन्तरण पर आते हैं। राजकीय रेलवे पुलिस में अधि0/कर्म0 गणों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम निरन्तर चलाये रहने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि राजकीय रेलवे पुलिस में कर्मचारी आते और जाते रहते है। अतः राजकीय रेलवे पुलिस में कर्मचारीगण के आगमन के पश्चात उनकी नियुक्ति अनुभागों मे करते हुए उनको 14 दिवस का प्रशिक्षण राजकीय रेलवे पुलिस अनुभाग झॉसी के प्रशिक्षण केन्द्र में कराया जाता है।

इन्डोर प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम-

1- रेलवे एक्ट की वे धाराये जिनका सम्बंध राजकीय रेलवे पुलिस से है।

2- रेलवे विभाग की कार्यप्रणाली, रेलवे विभाग का प्रशासनिक ढॉचा एवं रेलवे विभाग की राजकीय रेलवे पुलिस में आकांक्षाए। इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए रेलवे विभाग के अधिकारियों को आमान्त्रित किया जाता है।

3- रेलवे विभाग के विभिन्न आदेश जिनका अनुपालन राजकीय रेलवे पुलिस को करना पड़ता है। यह विषय भी रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा ही पढ़ाया जाता है।

4- राजकीय रेलवे पुलिस में नियुक्ति के दौरान कर्मचारियों के लिए आचार संहिता। जैसे टिकट चेक न करना, यात्रियों के सामान की बुकिंग के बारे में हस्ताक्षेप न करना, मृदु भाषा का प्रयोग करना।

5- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश तथा अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे के कार्यालयों में नियुक्त समस्त राजपत्रित अधिकारियों के नाम व पते तथा टेलीफोन नम्बर।

6- राजकीय रेलवे पुलिस संगठन एवं कार्यप्रणाली, भारतीय रेलवे का इतिहास, जीआरपी में डियूटी के प्रकार, विभिन्न प्रकार के विस्फोटक पदार्थ एवं उनकी पहचान, आतंकवादी घटनाओं की जानकारी, ट्रेन स्कोर्ट डियूटी के सम्बन्ध में, ट्रेन दुर्घटना एवं राहत कार्यो के सम्बन्ध में जानकारी तथा जनपदीय पुलिस से जीआरपी का समन्वय, एनएसए, गैंगेस्टर, एनडीपीएस, के

अभियोजन में विवेचकों द्वारा की जा रही त्रुटियां, ट्रेनों में जहरखुरानी के अपराध एवं अपराध की कार्यप्रणाली, जीआरपी मैनुअल, लावारिस सम्पत्ति के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही, पुलिस अभिरक्षा में बन्दियों को ले जाने में गार्ड एवं स्कोर्ट के नियम, ट्रेनों में लूट, डकैती रोकने के सम्बन्ध में जानकारी, अज्ञात शवों की पहचान एवं उनका निस्तारण तथा पोस्टमार्टम, पंचायतनामा आदि के सम्बन्ध में जानकारी व कर्तव्य, आरपीएफ संगठन एवं उनके अधिकार तथा दायित्व एवं जीआरपी के साथ समन्वय, विभिन्न जहरखुरानों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले नशीले पदार्थो की पहचान व उपचार, महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी के सम्बन्ध में जानकारी आदि का प्रशिक्षण।

7- डीएनए/फोरेन्सिक/फिंगर प्रिन्ट/अंगुष्ठ छाप के सम्बन्ध में जानकारी, सीडीएमए, जीएसएम मोबाइल,लैपटाप,वाट्सअप,सीसीटीवी,सर्विलांश एवं अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों की मौलिक जानकारी, चलित ट्रेनों में एफआईआर के सम्बन्ध में जानकारी, जीआरपी सिटीजन-आई के सम्बन्ध में जानकारी, आदि का आधारभूत प्रशिक्षण।

8- प्लेटफार्म/सरकुलेटिंग एरिया एवं स्टापर डियूटी, अज्ञात अवयस्क बच्चों के सम्बन्ध में राजकीय रेलवे पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी व कर्तव्य, ट्रेनों में चोरी रोकने के सम्बन्ध में जानकारी, कन्ट्रोलरूम की वर्किंग एवं आधुनिक कन्ट्रोलरूम की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में जानकारी राजकीय रेलवे पुलिस की छवि सुधार एवं पुलिस से जनता की अपेक्षाएं।

9- प्रशिक्षण के दौरान यह बताया जायेगा कि धारा-34 पुलिस एक्ट व धारा- 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत जी.आर.पी. के सिपाहियों के ट्रेन के अन्दर होने वाली घटनाओं के सम्बंध में गिरफ्तारी की जा सकती है या नही, क्यो कि रेलवे एक्ट की धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तारी का अधिकार जी.आर.पी. कर्मी का नही है।

8- बम एवं अन्य विस्फोटक पदार्थो को ट्रेन के डिब्बों में दिखना और बम ड्रिल तथा तत्सम्बंधित अन्य आदेशों के पालन का प्रशिक्षण ।

<u>आउटडोर प्रशिक्षण का पाठ्यकम</u>

1-पी.टी. और आर्म्स ड्रिल और वेपन ट्रेनिग उसी प्रकार और उतनी ही अवधि के लिए करायी जाती है। जिस प्रकार पी0ए0सी0 इन्टेन्सिव ट्रेनिंग करायी जाती है।

2-आतंकवादियों से आमने-सामने की लडाई का प्रशिक्षण।

3-विस्फोटक पदार्थो से बचाव/जानकारी का प्रशिक्षण।

4-यदि ट्रेन पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया जाता है तो स्कोर्ट पार्टी किस रणनीति के तहत कार्यवाही करेंगी।

5-अपराध करके भागने वाले अपराधियों को घेर कर पकड़ा जाना और आवश्यकतानुसार बल प्रयोग करना।

6-किसी डिब्बों में आग लग जाने पर आग बुझाने सम्बंधी कार्यवाही का प्रशिक्षण।